डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

इन्द्रपाल बनाम हरदेई वगै0

दावा बाबत् 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 194/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दव्र व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 10.03.2021 को अपने पत्र क्रमांक/एलआर/21/919 दिनांक 18.03.2021 द्वारा भिजवाये गये के अनुसार डिक्री किया जाता है। कुर्रा रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

बिज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख **30.07.2021** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत——————

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					
			मीजान		

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

1. इन्द्रपाल उम्र 45 वर्ष पिसरान बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी महरमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. महेन्द्र उम्र 38 वर्ष पिसरान बाबूलाल ब्राम्हण निवासी महरमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर

— वादीगण

<u>बनाम</u>

1. हरदेई उम्र 55 वर्ष पत्नि मुरारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. दिलीप उम्र 34 वर्ष दोहिता पुत्र बाबूलाल जाति ब्राम्हण निवासी फतेहपुर कल्ला हाल आबाद कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर राज0
3. मोहनश्याम उम्र 31 वर्ष दोहिता पुत्र बाबूलाल जाति ब्राम्हण निवासी फतेहपुर कल्ला हाल आबाद कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
5. सबरजिस्टार नदबई

प्रतिवादीगण

30/07/14
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं.:— 194 / 2018
जी.सी.एस.एम. नं.:— 2018 / 00362
किस्म — दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :— 30.07.2021

1. इन्द्रपाल उम्र 45 वर्ष पिसरान बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी महरमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0
2. महेन्द्र उम्र 38 वर्ष पिसरान बाबूलाल ब्राम्हण निवासी महरमपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर

— वादीगण

बनाम

1. हरदेई उम्र 55 वर्ष पत्नि मुरारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी खेड़ीदेवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. दिलीप उम्र 34 वर्ष दोहिता पुत्र बाबूलाल जाति ब्राम्हण निवासी फतेहपुर कल्ला हाल आबाद कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर राज0
3. मोहनश्याम उम्र 31 वर्ष दोहिता पुत्र बाबूलाल जाति ब्राम्हण निवासी फतेहपुर कल्ला हाल आबाद कस्बा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
5. सबरजिस्टार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री लक्ष्मणसिंह एडवोकेट(वादीगण की और से)
श्री जगदीशचन्द (प्रतिवादी की और से)

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए.

निर्णय

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में से कोई भी पक्षकारान नावलिग एवं फातरूल नही है। सभी दावा लड़ने में सक्षम है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

2. यह की खसरा नम्बरान 24 रकवा 0.77 , 25 रकवा 1.09 किता 2 कुल रकवा 1.86 हैक्टे. वाके ग्राम खेड़ीदेवीसिंह नदबई में स्थित हैं। जिस पर वादी सं. 1 , 5/12 हिस्से का तथा वादी सं.2, 5/12 हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 दोनो ही मिलकर 1/6 हिस्से के खातेदार व काबिज है।

3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 वाद पत्र वादीगण सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण सं. 2, 3 की अविभाजित पुस्तैनी आराजी है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा संयुक्त रूप फसल लाहा आज से करीब 1 माह पूर्व बोई गई थी। जो खडी हुई हैं उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान 24 व 25 वाके खेडीदेवीसिंह तहसील नदबई का अदिनांक तक वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के मध्य कोई विभाजन नही हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 24 व 25 मौके पर 2 नम्बर है उक्त नम्बरो के हिस्सा कृषि के मुताबिक कोई डौर मैड मौजूद नही है। क्योकि पुस्तैनी रकवा होने से शामिल काश्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 में चले आ रहे है।परन्तु प्रतिवादी सं. 2 व 3 में उक्त विवादित आराजी की 1/6 हिस्से को बिना बॅटवारा कराये अजनबी खरीददार प्रतिवादिनी सं. 1 को दिनांक 29.10.2018 को रजिस्टर्ड वयनामा कर दिया गया है। जबकि उक्त आराजी में पहले से फसल लाहा वादीगण द्वारा बोया हुआ है। विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर प्रतिवादी सं. 1 को मुताबिक वयनामा कब्जा प्राप्त नही हुआ है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण व वादीगण सं. 2 व 3 पुस्तैनी आराजी है।

4. यह है कि वादीगण सं. 1 व 2 बहिनें ललिता , ममता , बबीता वादीगण के पक्ष में रिलीजडीड रजिस्टर्ड दे चुकी है। जिसके आधार पर वादीगण सं. 1 , 5/12 हिस्से का तथा वादी सं. 2 , 5/12 हिस्सा का विवादित सहखातेदार काबिज है। मृतक विद्या व मृतक शांति के मध्य पूर्व में ही राजीनामा से बॅटवारा हो चुका है।

5. यह कि विवादित आराजी खसरा नं. 24, 25 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह के 1/6 हिस्से का सहखातेदार प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 बिना विभाजन कराये व बिना सहखातेदार वादीगण की सहमति से खड़ी हुई फसल के होते हूए भी बिना कब्जा दिये अजनबी प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 29.10.2018 को रजिस्टर्ड वयनामा करा दिया गया है। उक्त प्रतिवादी सं. 1 की

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

हैसियत अजनबी खरीददार की है जो बिना बॅटवारा कराये विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारिणी नही है।

6\. यह कि प्रतिवादीगण सं. बिना बॅटवारा कराये आराजी में कब्जा लेने व मौके पर विवादित आराजी का 1/6 हिस्से बाबत् कोई डौर ,मैड न होने से डौर मेड डालने के प्रयास में है ऐसी स्थिति में वादीगण विवादित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य बॅटवारा करा पाने का अधिकारी है।

7\. यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 ने वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह पर दिनांक 11.11.2018 को वादीगण सं. 1 व 2 को धमकी दी कि वह अपनी परिवार जनो के लट्ठ के बल पर बिना बॅटवारा कराये खडी फसल जो वादीगण द्वारा बोई गई है। में नाप व पैमाइश कर डौर व मैड डालकर कर विवादित आराजी के 1/6 हिस्से पर जबरन कब्जा कर के रहेंगे विवादित आराजी खसरा नं. 24 व 25 वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 की सयुक्त कब्जे की अविभाजित आराजी होते हुए भी प्राप्त कर लेगी।अगर प्रतिवादी सं. 1 जो कि एक अजनबी खरीददारी की हैसियत रखती है। तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी। अतः वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है। कि वह विवादित आराजी खसरा नं. 24 व 25 कुल रकवा 1.09 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह पर बिना बॅटवारा कराये कब्जा न करे। व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा बिना बॅटवारा कराये रहन व मुन्तकिल न करे तथा प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 प्रतिवादिनी सं. 1 को जबरन कब्जा न करावे।

8\. अतः दावा वादी इस प्रकार डिक्री किया जावे की विवादित आराजी की वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रेजात कायम कर अलग अलग खाता लगान कायम करा पाने के अधिकारी है। तथा उसी अनुरूप रिकॉर्ड में अंकन करा पाने के अधिकारी है। कि वह विवादित आराजी खसरा नं. 24 व 25 कुल रकवा 1.09 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह पर बिना बॅटवारा कराये कब्जा न करे। व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा बिना बॅटवारा कराये रहन व मुन्तकिल न करे तथा प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 प्रतिवादिनी सं. 1 को जबरन कब्जा न करावे।

दावागण का वाद पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 3 की और से श्री जगदीशचन्द्र एण्ड0 उपस्थित हुऐ। तथा

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

इनकी और से जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी स. 4 व 5 को तामल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंन्दी संवत 2075–78, 2071–74, 2067–70, वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह , नकल प्रमाणित फोटो प्रति दाखिला खारिज दिनांक 12.11.2018 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह ,नकल आदेशिका दिनांक 02.12.2014 पारिवारिक राजीनामा तस्दीक शुदा व डिकी 2.12.2014 व नकल फोटो प्रति रजि0 रिलीडिड दिनांक 31.05.2017 पेश किये गये।

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये जाने एवं तथा साक्ष्स प्रतिवादी बंद कि जाकर बहस कुर्रा रिपोर्ट मंगवाये जाने का अनुरोध किया गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान वकिलो द्विरा दिनांक 12.02.2020 की गई तथा तथा बहस प्रारम्भिक सुनी गई। विद्वान वकीलो द्वारा वाद पत्र में दर्ज तथ्यो को दौहराया गया, एवं मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार कुरेजात प्रस्वताव मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान वकील की एक तरफा बहस प्रारम्भिक को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा बाद अवलोकन दावा वादीगण मूल दावे के अनुसार प्रारम्भिक डिकी किया जाकर असल वाद पत्र में दर्ज विवादित आराजीपर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य की दर्ज आराजी अच्छी में से अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के वाई मीट्स एण्ड़ बाउन्ड़ के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार नदबई को मौकका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभय पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्राजात दिनांक 10.03.2021 के प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक/एलआर/21/919 दिनांक 18.03.2021 द्वारा भिजवाये गये। जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस कुर्राजात प्रस्ताव हेतु नियत कि गई।

बहस कुर्राजात प्रस्ताव पर विद्वान वकीलो की सुनी गई। उभ्यपक्षकरान के विद्वान वकीलो द्वारा दौरान बहस कहा कि उक्त दावा में तहसीलदार नदबई द्वरा जो कुर्रा रिपोर्ट बनाकर पेश कि गई है वह उभयपक्षकरान की मौजूदगी में तैयार की गई है केर्रा रिपोर्ट मुताबिक हिस्सा अनुसार मौके व काश्त के अनुसार तैयार की गई है। उभयपक्षकरान उक्त कुर्रा रिपोर्ट से पूर्ण रूप से सहमत भी है जिनके उन पर दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर भी है। अतः मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 कें अनुसार डिक्रकी किया जावें।

हमने विद्वान वकील की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जो पाया कि उक्त कुर्रा रिपोर्ट तहसीलदार नदबई द्वारा दिनांक 10.03.2021 को तैयार की गई है वह उभयपक्षकारान के मध्य उपस्थिति में मौके व रिकॉर्ड के हिससेनुसार मौके पर जाकर राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

हुऐ पक्षकारान को तलव कर तैयार कि गई है उक्त कुर्रा रिपोर्ट पर उभ्यपक्षकारान के हस्ताक्षर भी है। उभयपक्षकारान द्वारा उक्त कुर्रा रिपोर्ट से पूर्ण रूप से सहमत भी है तथा कुर्रा रिपोर्ट भी कोई उज्र भी पेश नही किया गया है। तथा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट अनुसार डिक्री किये जाने कि सहमति भी दी गई है। अतः दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 अनुसार डिक्री किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार नदबई द्वारा कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 10.03.2021 को अपने पत्र क्रमांक/एलआर/21/919 दिनांक 18.03.2021 द्वारा भिजवाये गये के अनुसार डिक्री किया जाता है। कुर्रा रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
30/07/21